प्रेस विज्ञप्ति

CSMCL मैनपावर ओवर टाइम भुगतान घोटाला : कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों की राशि निकालकर कमीशन वसूली मामले में – 12 आरोपियों के विरुद्ध प्रथम अभियोग पत्र प्रस्तुत

मुख्य बिंदु :

- राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर द्वारा CSMCL मैनपावर ओवर टाइम भुगतान घोटाला मामले में आज दिनांक 18.05.2026 को माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष प्रथम अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
- प्रथम अभियोग पत्र कुल 12 आरोपियों – अनवर ढेबर, नवीन प्रताप सिंह तोमर, तिजऊराम निर्मलकर, अभिषेक सिंह, नीरज कुमार चौधरी, अजय लोहिया, अजीत दरंदले, अमित प्रभाकर सालुंके, अमित मित्तल, एन. उदय राव, राजीव द्विवेदी एवं संजीव जैन के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
- विवेचना में वर्ष 2019–20 से 2023–24 के मध्य ओवर टाइम, बोनस, 04 अतिरिक्त दिवस कार्य भुगतान एवं उक्त मदों पर सर्विस चार्ज के रूप में लगभग ₹182.98 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया जाना पाया गया।
- उक्त राशि वास्तविक रूप से CSMCL की दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को दी जानी थी, परंतु राशि का उपयोग कमीशन भुगतान एवं कंपनियों द्वारा स्वयं के आर्थिक लाभ के लिए किया जाना पाया गया।

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 44/2024, धारा–7(बी), 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथासंशोधित 2018 एवं धारा–467, 468, 471, 120–बी भा.द.वि. के अंतर्गत CSMCL मैनपावर ओवर टाइम भुगतान घोटाला मामले में विवेचना उपरांत आज दिनांक 18.05.2026 को माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष प्रथम अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रथम अभियोग पत्र आरोपी अनवर ढेबर, नवीन प्रताप सिंह तोमर, तिजऊराम निर्मलकर, अभिषेक सिंह, नीरज कुमार चौधरी, अजय लोहिया, अजीत दरंदले, अमित प्रभाकर सालुंके, अमित मित्तल, एन. उदय राव, राजीव द्विवेदी एवं संजीव जैन के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

विवेचना में यह पाया गया कि CSMCL में मैनपावर सप्लाई कार्य से संबंधित एजेंसियों को कर्मचारियों के नाम पर ओवर टाइम, बोनस, 04 अतिरिक्त दिवस कार्य भुगतान एवं उक्त मदों पर सर्विस चार्ज के रूप में बड़ी राशि का भुगतान किया गया। दस्तावेजों, कंपनी प्रतिनिधियों के कथनों, CSMCL कार्यालयीन गवाहों, दुकान स्तर के कर्मचारियों तथा नगद राशि आवागमन से जुड़े गवाहों के कथनों से यह तथ्य सामने आया कि उक्त राशि वास्तविक रूप से कर्मचारियों को नहीं दी गई।

विवेचना में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार मैनपावर एजेंसियों को वर्ष 2019–20 से 2023–24 के बीच अलग–अलग मदों में निम्नानुसार अतिरिक्त भुगतान किया जाना पाया गया –

ओवर टाइम भुगतान – लगभग ₹101.20 करोड़

बोनस भुगतान – लगभग ₹12.21 करोड़

04 अतिरिक्त दिवस कार्य का भुगतान – लगभग ₹54.46 करोड़

ओवर टाइम, बोनस एवं 04 अतिरिक्त दिवस भुगतान पर सर्विस चार्ज – लगभग ₹15.11 करोड़

इस प्रकार उक्त सभी मदों को मिलाकर कुल लगभग ₹182.98 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान सुमीत फैसिलिटीज, प्राईमवन वर्कफोर्स, ए–टू–जेड इन्फ्रासर्विसेस, अलर्ट कमाण्डोज एवं ईगल हंटर सॉल्यूशन्स सहित संबंधित मैनपावर एजेंसियों को किया जाना पाया गया।

विवेचना में प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया कि उक्त राशि CSMCL की दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को दी जानी थी, परंतु फर्जी/बढ़े हुए बिलों एवं अधिसमय भुगतान व्यवस्था के माध्यम से राशि आहरित कर उसका उपयोग अधिकारियों एवं संबंधित सिंडिकेट को कमीशन देने तथा कंपनियों के आर्थिक लाभ के लिए किया गया।

प्रकरण में दिनांक 29.11.2023 को ₹28.80 लाख नगद राशि पकड़े जाने की घटना इस अवैध कमीशन व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी रही। उक्त राशि ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड एवं अलर्ट कमाण्डोज प्राइवेट लिमिटेड के देयकों को पारित कराने के एवज में कमीशन के रूप में नवीन प्रताप सिंह तोमर तक पहुंचाई जानी थी। उक्त रकम की सुपुर्दगी में तिजऊराम निर्मलकर एवं अभिषेक सिंह की भूमिका पाई गई।

प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम अभियोग पत्र के अतिरिक्त अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका, अवैध राशि के उपयोग, निवेश एवं अन्य संबंधित तथ्यों के संबंध में विवेचना जारी है। विवेचना में प्राप्त होने वाले अतिरिक्त साक्ष्यों के आधार पर आगे आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।